का॰ज्ञा॰ सं॰ 12024/6/94-रा॰भा॰ (का-2), दिनांक 7.4.1995

विषय:— नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार ने वर्ष 1995-96 से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों पर होने वाले खर्च के संबंधी में दी जाने वाली राशि, छोटी समितियों के लिए रु॰ 1000/- प्रति बैठक से बढ़ाकर, रु॰ 1500/- प्रति बैठक (रु॰ 3000/- वार्षिक) और बड़ी समितियों के लिए रु॰ 2000/- प्रति बैठक से बढ़ाकर, रु॰ 3000/- प्रति बैठक (रु॰ 6000/- वार्षिक) करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इन समितियों का विवरण नीचे दिया गया है:-

(1) निम्नलिखित 36 नगरों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को रु॰ 6000/- प्रतिवर्ष (रु॰ 3000/-प्रति बैठक), समितियों की बैठकों पर हुए खर्च के संबंध में स्वीकृत किए जाएंगे:-

1. कलकत्ता (कार्या॰)	2. पटना (कार्या॰)	3. पोर्ट-ब्लेयर
4. भुवनेश्वर	5. रांची	6. गुवाहाटी (कार्या॰)
7. अहमदाबाद (कार्या॰)	8. कोल्हापुर	9. गोवा
10. नागपुर (कार्या॰)	11. पुणे (कार्या॰)	12. बम्बई (कार्या॰)
13. बड़ोदरा (कार्या॰)	14. इन्दोर (कार्या॰)	15. ग्वालियर
16. जयपुर (कार्या॰)	17. जबलपुर (कार्या॰)	18. भोपाल (कार्या॰)
19. आगरा	20. इलाहाबाद (कार्या॰)	21. कानपुर (कार्या॰)
22. गोरखपुर	23. चण्डीगढ़ (कार्या॰)	24. जम्मू
25. देहरादून	26. लखनऊ (कार्या॰)	27. वाराणसी
28. शिमला	29. श्रीनगर	30. बेंगलूर (कार्या॰)
31. मेंगलूर	32. मैसूर	33. हैदराबाद (कार्या॰)
34. कोचीन (कार्या॰)	35. मद्रास (कार्या॰)	36. त्रिवेन्द्रम (कार्या॰)
37. कांडला (गांधी धाम)		

(2) निम्नलिखित 74 नगरों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को रु॰ 3000/- प्रतिवर्ष (रु॰ 1500/- प्रति बैठक) समितियों की बैठकों पर हुए खर्च के संबंधी में स्वीकृत किए जाएंगे:—

1. कटक	2. दुर्गापुर	3. धनबाद
4. पाराद्वीप-पत्तन	5. बोकारो	6. बर्नपुर
7. मुजफ्फरपुर	8. अगरतल्ला	9. आईजोल
10. इम्फाल	11. ईटानगर	12. कोहिमा
13. गंगटोक	14. दीमापुर	15. शिलांग
16. सिल्चर	17. अमरावती	18. औरंगाबाद
19. अकोला	20. कांडला	21. चन्द्रपुर
22. नासिक	23. भावनगर	24. राजकोट
25. वेरावल	26. सूरत	27. अजमेर
28. उदयपुर	29. उज्जैन	30. कोटा
31. जोधपुर	32. देवास	33. नीमच
34. बीकानेर	35. रायपुर	36. रतलाम
37. अम्बाला	38. अलीगढ़	39. अमृतसर
40. इज्जतनगर	41. करनाल	42. जालन्धर
43. झांसी	44. गाजियाबाद	45. पटियाला
46. फरीदाबाद	47. मेरठ	48. मथुरा
49. रोहतक	50. लुधियाना	51. हिसार
52. अनन्तपुर	53. गुन्टूर	54. तिरूपति
55. बेलगांव	56. वारंगल	57. विजयवाड़ा
58. विशाखापत्तनम	59. हुबली	60. ऊटी-कुनूर
61. कालीकट	62. कण्णूर	63. कोयम्बटूर
64. तिरूचिरापल्ली	65. पांडिचेरी	66. पालक्काड-कंजीक्कोड
67. मदुरै	68. सालेम	69. त्रिच्चूर
70. मडिकेरी	71. कारवार	72. आबू-पर्वत
73. रीवा	74. भिलाई	

2. राशि खर्च करते समय यह ध्यान रखा जाए कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की एक दिन की बैठक में दो समय की चाय व दोपहर के भोजन पर कुल खर्चा रु॰ 14/- प्रति व्यक्ति से अधिक न किया जाए। बैठक के संबंध में अन्य विविध खर्च, बची हुई राशि से किए जा सकते हैं। इस संबंध में, अध्यक्ष अपने स्तर पर निर्णय ले सकते हैं।

3. यह स्वीकृति गृह मंत्रालय (वित्त-II शाखा) की सहमति से उनकी अनौपचारिक टिप्पणी संख्या 63 (एच)/95/वित्त-II, दिनांक 6.3.95 के अंतर्गत जारी की जा रही है।